न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या : 130/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बेसराराम पुत्र फगलू जाति राईका निवासी आलेटी पटवार मण्डल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. तहसीलदार धोरीमन्ना 2. गुला पुत्र फगलू 3. हरलाल पुत्र फगलू 4. पांचू पत्नी नगा (फौत कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 06) 5. मांगीलाल पुत्र राणा 6. सांवला पुत्र नगा जाति राईका निवासी आलेटी पटवार मण्डल अरणियाली तहसील, धोरीमन्ना।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्त करने बाबत्

तारीख रजू : 05.09.2023

अधिवक्तागण :–

1. श्री जगदीश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी
2. सरकार पैराकार विप्रार्थी संख्या 01

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 19.06.2024

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदरी का खेत ग्राम आलेटी पटवार मण्डल अरणियाली के खते खसरा संख्या 190 रकबा 8.1018 का आया हुआ है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

प्रार्थी के पिता फगलू के फौतगी के नामान्तरकरण में पारित करते समय प्रार्थी ने हल्का पटवारी अरणियाली को फगलू के वारीसों की सूची पे I की जिसमे समय प्रार्थी छोटी उम्र का होने से प्रार्थी का नाम बेसराराम की जगह खसरा संख्या 190 में केसरा लिख दिया इस प्रकार [illegible] प्रार्थी के नाम बेसराराम की जगह केसरा लिख दिया गया। जो आज [illegible] अन[illegible] रूप से चला आर राह है प्रार्थी पढा लिख नही होने [illegible] मलायन की वजह से इस त्रुटि की जानकारी नही हो सकी।

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी बेसराराम की जगह राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 190 के केसरा इन्द्राज हो गया तथा वर्तमान रेकर्ड में भी केसरा का नाम चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी के माता पिता द्वारा नाम बेसराराम रखने से प्रार्थी के अन्य सभी परिचय पत्रों में एवं राशन कार्ड में नाम बेसराराम दर्ज है। जिनकी प्रतिलिपि साथ पेश है। केसरा नाम केवल कागजों में त्रुटि से दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थी को मानव जगत व इस जहां में बेसराराम के नाम से जाना जाता है तथा केसरा नाम का कोई अन्य व्यक्ति फगलू का पुत्र नही है और नही फगलू के परिवार में केसरा नाम का कोई पुत्र है बेसराराम ही केसरा है। फगलू के केवल मात्र सिगरतीदेवी की कोख से पांच सन्तान ने जन्म लिया जिसमें सबसे बड़ा राणाराम उसे छोटा नगाराम, उससे छोटा गुलाराम, उससे छोटा बेसराराम, उससे छोटा हरलालराम है। जो राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है। बेसराराम की जगह राजस्व रेकर्ड में केसराराम दर्ज है। प्रार्थी देशावर से अपने पैतृक ग्राम आलेटी में आकर अपने खेत में काश्त शुरू की तथा प्रार्थी के खेत में फसल नुकसान होने का मुआवजा प्रार्थी को प्राप्त नही हुआ तब प्रार्थी ने हल्का पटवारी को फसल खराबे का मुआवजा व अनुदान राशि नही मिलने के बारे में अवगत करवाया तब प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में नाम व प्रार्थी द्वारा पेश आधार कार्ड, राशन कार्ड व बैकं डायरी में नाम की भिन्नता है। तब प्रार्थी ने हल्का पटवारी से अपनी आराजी की नकल ली व पिछला रेकर्ड में बेसराराम की जगह केसरा नाम दर्ज होने की जानकारी हुई तथा वर्तमान में उक्त त्रुटि के कारण प्रार्थी को अनुदान, रहन, राजकीय सहायता इत्यादि नही मिल रही है। न ही अपने भूमि में उत्पन अनाज की सरकार द्वारा पोषित मण्डीयों में बैचान कर पार रहा हूँ। इस प्रकार प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिए जानकारी की तिथि से अन्दर म्याद नाम दुरस्ती का आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम केसरा के स्थान पर बेसराराम करने के आदेश फरवावे।

तहसीलदार धोरीमन्ना से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार ने अपने जांच रिपोर्ट में ग्राम आलेटी पटवार मण्डल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 190 रकबा 8.1018 हैक्टेयर भूमि में दर्ज सहखातेदार केसरा पुत्र फगलू जाति राईका के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट इस प्रकार है।

1. बेसराराम के पिता फगलू वल्द हरचन्द की मृत्यु होन पर ग्राम आलेटी का नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 15.06.1973 को स्वीकृत हुअ, जिसमें प्रार्थी का नाम बेसरा पुत्र फगलू दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 46 का अमल दरामद ग्राम आलेटी की जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029, 2023 से 2033 व 2033 से 2036 में बेसरा पुत्र फगलू के नाम से हुआ। जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 तहरीर करते

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

समय प्रार्थी का नाम सहवन से लिपिकीय त्रुटि से केसरा पुत्र फगलू दर्ज कर दिया, इसके पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 में केसरा पुत्र फगलू दर्ज है। ग्राम आलेटी के खसरा संख्या 190 रकबा 8.1018 हैक्टेयर भूमि में सह खातेदार के रूप में दर्ज "केसरा पुत्र फगलू" के स्थान पर शुद्ध नाम " केसराराम पुत्र फगलूराम" किया जाने की अनुशंषा की जाती है। पत्रावली एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा आलेटी पटवार हल्का अरणियाली तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 190 रकबा 8.1018 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार धोरीमन्ना के कार्यालय क्रमांक भू.अ./2024/1303 दिनांक 22.05.2024 के अनुसार प्रार्थी का नाम **"केसरा पुत्र फगलू" के स्थान पर "बेसराराम पुत्र फगलूराम" करने के आदेश दिये** जाते है। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग व अंश रहेगी। तहसीलदार धोरीमन्ना तद्नुसार **भू–राजस्व अधिनियम–1956 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्ड्स) नियम 1957** के अंतर्गत राजस्व अभिलेख में **शुद्ध करें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।**

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner